

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 2
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	8439.94	...	8439.94	8513.62	...	8513.62	8658.89	...	8658.89	9493.59	10.41	9504.00
वसूलियां	-71.93	...	-71.93
प्राप्तियां
निवल	8368.01	...	8368.01	8513.62	...	8513.62	8658.89	...	8658.89	9493.59	10.41	9504.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.62	...	12.62	39.68	...	39.68	44.80	...	44.80	33.30	10.41	43.71
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. कृषि विस्तार	283.71	...	283.71	243.72	...	243.72	243.72	...	243.72	327.00	...	327.00
3. कृषि इंजीनियरिंग	54.90	...	54.90	48.30	...	48.30	48.30	...	48.30	65.00	...	65.00
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन												
4. कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं	167.56	...	167.56	144.90	...	144.90	144.90	...	144.90	240.00	...	240.00
5. जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल	47.00	...	47.00	40.87	...	40.87	40.87	...	40.87
जोड़-प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन	214.56	...	214.56	185.77	...	185.77	185.77	...	185.77	240.00	...	240.00
फसल विज्ञान												
6. फसल विज्ञान	603.28	...	603.28	526.08	...	526.08	526.04	...	526.04	714.41	...	714.41
7. बागवानी विज्ञान	181.46	...	181.46	157.53	...	157.53	157.53	...	157.53	212.00	...	212.00
8. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि	42.00	...	42.00	35.67	...	35.67	35.67	...	35.67
जोड़-फसल विज्ञान	826.74	...	826.74	719.28	...	719.28	719.24	...	719.24	926.41	...	926.41
पशु विज्ञान												
9. पशु विज्ञान	257.59	...	257.59	224.41	...	224.41	224.41	...	224.41	300.00	...	300.00
10. मात्स्यिकी विज्ञान	137.99	...	137.99	118.89	...	118.89	118.89	...	118.89	150.00	...	150.00
जोड़-पशु विज्ञान	395.58	...	395.58	343.30	...	343.30	343.30	...	343.30	450.00	...	450.00
कृषि शिक्षा												
11. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं	299.94	...	299.94	263.77	...	263.77	263.77	...	263.77	322.74	...	322.74
12. आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन	27.65	...	27.65	24.51	...	24.51	24.51	...	24.51

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) के वेतन और स्थापना व्यय पर होने वाले खर्च के लिए है। एएसआरबी डेयर का एक संलग्न कार्यालय है।
2. **कृषि विस्तार:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के लिए क्रियाकलापों के लिए है जिससे अग्रपंक्ति कृषि तकनीकी का प्रचार और परिष्करण हो सके। इसमें स्थानीय प्रौद्योगिकियों के संबंध में किसानों और एक्सटेंशन कार्मिकों का प्रशिक्षण, तथा बीज, रोपण सामग्रियों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच शामिल हैं।
3. **कृषि इंजीनियरिंग:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए है।
4. **कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं:** यह प्रावधान निम्न कृषि उत्पाकता और लाभकारिता, भूमि निम्नीकरण, निम्न जल उत्पाकदकता, मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण और निम्न पोषण उपयोग क्षमता, पारितंत्र सेवाओं में निम्नीकरण, अजैविक दवावों इत्यादि की समस्या का समाधान के अनुसंधान के लिए है। लंबे दौर में टिकाऊपन हेतु प्राकृतिक संसाधनों के आधार की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है।
5. **जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल:** यह प्रावधान भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शन के प्रचालन हेतु है। अनुकूलन और कमी के ऊपर अनुसंधान में फसल, पशुधन, मात्स्यिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2023-24 से कृषि वानिकी अनुसंधान योजना सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थानों में विलय कर दिया जाएगा।
6. **फसल विज्ञान:** अनुसंधान- का प्रावधान विशेषक-विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दवावों के अतिरिक्त नाशक जीवों और रोगों के प्रति सहिष्णुता के लिए है। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्व दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में कार्यरत हैं।
7. **बागवानी विज्ञान:** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दवावों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र के साथ नई उप-प्रजातियों का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।
8. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि:** प्राथमिकता-प्राप्त अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान को सहायता दी जाती है। यह योजना 2023-24 से गैर योजना बजट में विलय कर दी जाएगी।
9. **पशु विज्ञान:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और टिकाऊपन से सहायता हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

10. **मात्स्यिकी विज्ञान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी और कृषि में अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। इसमें संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी, प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक, सलाहकारी सहायता और जलजीवपालन हैचरी और मात्स्यिकी प्रणाली के लिए उत्तरदायी विकास संवर्धन प्रौद्योगिकियों और जलजीवपालन के लिए अंत-स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करने आदि के लिए है।
11. **कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) सम्मिलित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन, ii) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।
12. **आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन:** प्रावधान कृषि आर्थिकी एवं कृषि सांख्यिकी के क्षेत्रों में नीति, प्रबंधन एवं डाटाबेस मुद्दों के समाधान के लिए अनुसंधान करने और उसी के अनुरूप अन्य योजनाओं तथा कृषि हितधारकों को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2023-24 से कृषि विश्वविद्यालय एवं संस्था योजना में विलय कर दिया जायेगा।
13. **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह विश्व बैंक और सरकार द्वारा वित्तपोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना केबाह्य सहायता प्राप्त घटक के लिए है। परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों पर समतुल्य हो।
14. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता पर व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।
15. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में व्याप्त कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।
16. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।